कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: **cfmedininagar@gmail.com**

दूरभाष / Phone: **06562.224953,8987790232**

पत्रांक– 312

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,
मेदिनीनगर।

मेदिनीनगर, दिनांक – 12.05.2026

विषयः– 132 KV/DC छतरपुर से जपला ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 23.2676 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः – आपका पत्रांक 935 दिनांक 04.05.2026

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर से जपला 132 KV/DC ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में अंछादित होने वाले वन भूमि (अधिसूचित वन भूमि 17.6276 हे0 एवं गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी 5.64 हे0) कुल 23.2676 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रॉची के पत्र संख्या–FP/JH/TRANS/150441/2021/12 दिनांक–07.01.2025 द्वारा दस बिन्दुओ की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित किया गया है, जिसमें निम्नांकित त्रूटियॉ पाई गई है, जो निम्नवत है :–

1. Site Suitability Certificate वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र द्वारा निर्गत है जबकि वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए था।

2. Cost Benefit Analysis में NPV के अन्तर्गत Net Present Value Under Class-II के अनुसार राशि की गणना करते हुए दर्शाया गया है, जबकि Under Eco Class-III के अनुसार राशि की गणना की जानी चाहिए थी, तदनुसार अन्य मदों में सुधार अपेक्षित है, साथ हीं Employment Generation के अंतर्गत की गयी प्रवृष्टि त्रुटिपूर्ण है। अतः Cost Benefit Analysis प्रतिवेदन में संशोधन की आवश्यकता है।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सक्षम स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त किये वगैर पूर्व में अधिसूचित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया है, फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के सुसंगत धाराओं के तहत अभियुक्तों के विरूद्ध वन वाद दायर किया गया है अथवा नहीं उल्लेखित नहीं किया गया है। वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 में

संशोधन हेतु अधिसूचना दिनांक–31 अगस्त 2025 द्वारा धारा–11 में वर्णित किया गया है जो निम्नवत है :–

"15. Proceedings against persons guilty of offences under Adhiniyam.– *(1)* With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, officer holding the rank of Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests or above in the State Government or Union territory Administration or an officer holding the rank of Assistant Inspector General of Forests or above in the Regional Office of the Central Government, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) is committed or violation of the provisions of the Adhiniyam has been made, shall initiate legal proceedings and file complaints against such person, authority or organisation, *prima-facie* found guilty of offence under the said Adhiniyam or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
(2) The Central Government or the Regional Offices under the Central Government, after receiving the information with respect to offence committed or violations made, shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory Administration and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the Adhiniyam has been committed or any provision of the said Adhiniyam has been violated, for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction within a period of forty five days from the receipt of such communication. उक्त दिशानिर्देश के आलोक में जंगल झाडी भूमि के सम्बन्ध में किये गये Violation के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू से प्रस्ताव प्राप्त कर गैर वन भूमि एवं वन भूमि पर किये गये Violation के विरूद्ध उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई अपेक्षित है।

4. आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों पर प्रत्येक पृष्ठ पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता अभिकरण का हस्ताक्षर एवं मुहर अपेक्षित है।

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन मूलरूप में यथावत संलग्न वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन संरक्षक, 12/5/26
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।